

पत्रांक 1263

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,  
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 19 सितम्बर, 2011

जिला पदाधिकारियों के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण।

विषय :-  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारियों के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त प्रसंग में राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-6828 दिनांक 01 सितम्बर 1955, परिपत्र संख्या-2085 दिनांक 19 नवम्बर 1975, संकल्प संख्या-46 दिनांक 06 जनवरी 1983, परिपत्र संख्या-2647 दिनांक 28.12.1985 एवं परिपत्र संख्या-3691 दिनांक 25.10.1998 का निर्देश किया जाय। इन परिपत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि जिला पदाधिकारी द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं के द्रुतगामी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर समुचित समन्वय का काम किया जाए एवं इस क्रम में सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्यक नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। परन्तु यह पाया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा जिला पदाधिकारियों को विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सीधी जिम्मेवारी सौंप दी जा रही है। हाल के वर्षों में योजनाओं की संख्या, उनके स्वरूप एवं निहित राशि में काफी वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक एवं कार्य विभागों के सुदृढीकरण के फलस्वरूप संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि हुई है। उक्त आलोक में विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय तथा अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से सीधे कराये जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से जिला पदाधिकारी विभिन्न अधिनियम, नियमावली आदि में उन्हें प्रदत्त विनियामक कृत्यों का सम्पादन करने के साथ विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समन्वय तथा अनुश्रवण में पूरा समय दे सकेंगे।

2. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी परिपत्रों/संकल्पों को अवक्रमित करते हुए निम्न निदेश दिये जाते हैं -

(क) जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर सरकार के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे तथा इस क्रम में जिले से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण मामलों के प्रसंग में सम्बन्धित विभागीय सचिव अथवा आवश्यकतानुसार विकास आयुक्त या मुख्य सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत कराएँगे।

(ख) जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्रुतगामी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्यक नेतृत्व प्रदान किया जाएगा तथा उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा। उक्त क्रम में जिला पदाधिकारी निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे -

(i) सभी विकासात्मक तथा कल्याणकारी कार्यक्रम आम लोगों के हित तथा आवश्यकता के अनुरूप कार्यान्वित हों;

(ii) विकास से सम्बन्धित योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा किया जाए;

(iii) विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हो तथा कार्यक्रमों में आ रही कठिनाईयों को ससमय दूर किया जाए;

(iv) विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में यथा संभव आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

(ग) जिला पदाधिकारी को विभिन्न विभागों द्वारा विकास परियोजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सीधी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। यदि भारत सरकार के निदेश अथवा योजना विशेष की आवश्यकता के आलोक में किसी योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी को सौंपना आवश्यक हो तो इसके लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा सरकार का पूर्व आदेश प्राप्त किया जाएगा। उक्त आलोक में सभी विभागों द्वारा वर्तमान में चालू योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जिला पदाधिकारियों की भूमिका की समीक्षा कर ली जाएगी तथा तदनुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 के प्रसंग में जिला पदाधिकारियों की पूर्व की भांति विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु निम्न शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी -

(i) सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम की प्रति जिला पदाधिकारी को दी जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा उसमें परिवर्तन हेतु दिये गये सुझाव के अनुसार जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उसमें आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा यदि विशेष परिस्थिति में अल्प सूचना पर जिला स्तरीय पदाधिकारी को भ्रमण पर जाना हो तो तत्काल इसकी मौखिक सूचना जिला पदाधिकारी को दी जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में इस संबंध में कारण अभिलेखित करते हुए संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को मुख्यालय में रहने

का निदेश दिया जा सकेगा। जिला स्तरीय पदाधिकारी बिना जिला पदाधिकारी के पूर्वानुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

(ii) जिला स्तरीय पदाधिकारी के आकस्मिक अवकाश का आवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जाएगा तथा जिला पदाधिकारी की सहमति से ही उन्हें आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के पश्चात मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उन्हें जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त करनी होगी। अन्य अवकाश के मामलों में भी जिला पदाधिकारी के माध्यम से अवकाश का आवेदन प्रेषित किया जाएगा तथा इस क्रम में जिला पदाधिकारी अपना मंतव्य अंकित कर सकेंगे।

(iii) जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी विभागाध्यक्ष को जिले में कार्यरत समूह 'ग' के किसी कर्मी को जिला अथवा जिला से बाहर स्थानांतरण का अनुरोध किया जा सकेगा तथा संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त अनुरोध से सहमत नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार का आदेश प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत जिला में पदस्थापित किसी कर्मी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने का आदेश दिया जा सकेगा। परन्तु इसके पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला स्तरीय पदाधिकारी से उनका मंतव्य अवश्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

(iv) जिला पदाधिकारी को सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों से नियमित रूप से उनके विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करने, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों तथा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत करने का अधिकार होगा। परन्तु जिला पदाधिकारी द्वारा ऐसा निदेश प्रशासनिक मामले में ही दिया जा सकेगा तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी को दिये गये ऐसे निदेश की प्रति सम्बन्धित विभाग के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष को भी दी जाएगी। इसी प्रकार सभी विभागाध्यक्षों द्वारा तकनीकी तथा रूटीन मामलों को छोड़कर उनके क्षेत्रीय तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को भेजे गये निदेशों की प्रति जिला पदाधिकारियों को भी प्रेषित की जाएगी।

(v) जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारी से किसी प्रशासनिक बिन्दु के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु उक्त क्रम में अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता होने पर जिला पदाधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित विभागाध्यक्ष से आवश्यक अनुरोध किया जाएगा।

(vi) जिला पदाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी के कार्य एवं आचरण के संबंध में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अंकित की जाएगी।

(vii) आपदा, विधि व्यवस्था की गंभीर स्थिति अथवा किसी संकट की स्थिति में वैधानिक शक्तियों के अलावे जिला पदाधिकारी का सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा तथा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों उनके निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में सभी विभागों द्वारा उनके विभागीय जिला स्तरीय तथा अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश निर्गत किया जाएगा।

5. आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

अमु 19/9/11

(अनूप मुखर्जी)  
मुख्य सचिव